2.11

संख्या– \ /XV-2/01(05)/2014

प्रेषक,

डॉ0 रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डेरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड।

पशुपालन अनुभाग–02 देहरादून: दिनांक 10 नवम्बर अक्टूबर, 2014:

विषय– वित्तीय वर्ष 2014–15 में दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजनान्तर्गत राज्य आकस्मिकता निधि से धनराशि स्वीकृत करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–205–06/लेखा/2014–15, दिनांक 31 मई, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में अनुदान संख्या–28 के अन्तर्गत प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम धनराशि रू0 1262.05 लाख (रूपये बारह करोड़ बासठ लाख पांच हजार मात्र) विनियोजित किये जाने हेतु (चालू वर्ष के आय–व्ययक में कोई प्रावधान न होने के कारण) आहरित कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. इस शासनादेश में उल्लिखित धनराशि के आहरण वितरण तथा उपयोग की पूर्ण सूचना बाउचर संख्या तथा आहरण की तिथि सहित शासन को शीघ्र भेजी जायेगी। प्रतिहस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण पत्र भी अनिवार्यतः शासन/महालेखाकार को प्रेषित किया जायेगा।
2. इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक आदि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाय।
3. इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय, साथ ही उत्पादकों को इस धनराशि का एक मुश्त आहरण न कर आवश्यकतानुसार आहरण किया जाय।
4. उक्त व्यय शासन के वर्तमान सुसंगत आदेशों/निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि उक्त धनराशि किसी ऐसे कार्य/मद पर सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित है। वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित सुसंगत नियमों का अनुपालन किया जाय जाय।
5. चूंकि प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में इस प्रयोजन हेतु कोई बजट व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि इस योजना हेतु व्यय तत्काल किया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है। अतः श्री राज्यपाल महोदय रू0 1262.05 लाख (रूपये बारह करोड़ बासठ लाख पांच हजार मात्र) की धनराशि राज्य आकस्तिमकता निधि से अग्रिम के रूप मे आहरित कर व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि की प्रतिपूर्ति/समायोजन आगामी वित्तीय वर्ष 2015–16 में कर ली जायेगी।

2– स्वीकृत की जा रही धनराशि प्रथमतः–8000–राज्य आकस्मिकता निधि–201–समेकित निधि से विनियोजन के नामे एवं अन्ततः अनुदान संख्या–28 अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2404–डेरी विकास–00–102–डेरी विकास परियोजनायें–11–दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना–00–20– सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे डाला जायेगा। (Plan)

भवदीय,

(डॉ0 रणबीर सिंह)
प्रमुख सचिव।

वित्त विभाग–

संख्या–08/XXVII(1)/रा0आक0निधि0/2014 दिनांक 17 अक्टूबर, 2014

प्रतिलिपिः महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी–प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून को एक अतिरिक्त प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(एल0एन0 पंत)
अपर सचिव।

संख्या–333/XV-2/2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री, डेयरी को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
3. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
5. मुख्य कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–4/नियोजन अनुभाग/वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।
7. कोषाधिकारी, हल्द्वानी (नैनीताल) उत्तरखण्ड।
8. निदेशक, बजट राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, देहरादून, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह चौहान)
उप सचिव।